[illegible] पेश होने पर पत्रावली नियत तिथि [illegible] की जाकर आज पेश है। विपक्षी [illegible] की तामील समुचित रूप से हो चुकी है। [illegible] अधिनियम अन्तर्गत [illegible] पत्रावली सं. 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षी रूप से कार्यवाही आगे में लायी जाती है। प्रकरण में बहस वकुलाप उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली आदेश पत्रावली दिनांक 20/10/2020 को पेश हो।

[illegible]/10/2020 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाप उभयपक्ष अ०। प्रकरण में बहस वकुलाप उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। बरवक्त बहस वकुलाप उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा पत्रपत्र स्वीकार कर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाप उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण का पत्रपत्र मुताबिक राजीनामा ~~किया जाकर~~ स्वीकार दिनांकित 12/10/2020 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि -

आदेश

तन ग्राम नेहरों की ढाणी प० ह० चौमु रोहितान तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि [illegible] ने. 130 लाबान 141, 176 [illegible] 177 कुल किता 19 कुल रकबा 7.18 है० में प्रार्थिका के नाम दर्ज हिस्सा $\frac{1}{4}$ अर्थात रकबा 1.79 है० में से 0.74 है० अर्थात हिस्सा $\frac{74}{716}$ की खातेदारी से प्रार्थिका का नाम दफ्फ किया जाकर उक्त हिस्सा $\frac{74}{716}$ की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज की जाती है। शेष हिस्सा $\frac{105}{716}$ की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम बरकरार रखी जाती है एवं शेष खातेदारों की खातेदारी भी बरकरार रखी जाती है। रकबा अनुसार तन ग्राम नेहरों की ढाणी प० ह० चौमु रोहितान तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 192 रकबा 2.59 है० में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा $\frac{1}{3}$ अर्थात रकबा 0.86 है० की खातेदारी से अप्रार्थी सं. 1 का नाम दफ्फ किया जाकर उक्त हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण को ~~खातेदार काश्तकार घोषित किया~~ के नाम दर्ज की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दरामद हेतु तहसीलदार ~~खण्डेला~~ श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी हो। तहसीलदार ~~खण्डेला~~ श्रीमाधोपुर उक्तानुसार विनिमय से प्रार्थीगण के हिस्से में आई ज्यादा भूमि 0.12 है० की नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा कर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

[illegible]/10/20

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned with CamScanner